संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: रिट याचिका संख्या 199/2011 (एस/बी) - बलवंत सिंह राणा तथा रिट याचिका संख्या 201/2011 (एस/बी) - कृष्ण प्रसाद, के क्रम में प्रकरणो पर परामर्शी समिति द्वारा विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह केहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के कार्मिक सर्व/श्री बलवंत सिंह राणा एवं श्री कृष्ण प्रसाद द्वारा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन हेतु रिट याचिका संख्या 199/2011 (एस/बी) एवं रिट याचिका संख्या 201/2011 (एस/बी) दायर की गयी है । इन रिट याचियाकाओ में उन्होने दावा किया है कि वह चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक है ।

दायर रिट याचिकाओ के क्रम में समिति द्वारा इन प्रकरणो पर विचार किया गया । प्रशासकीय विभाग द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त दोनों याची राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कार्मिक हैं । उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु विकल्प दिया गया था । भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 02-11-2007 में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिको को उनके विकल्प के आधार पर ही राज्य आवंटन किया जाएगा । अतः समिति ने उनके विकल्प के अनुसार उनका राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड करने की संस्तुति की ।

4. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सर्व/श्री बलवंत सिंह राणा एवं कृष्ण प्रसाद का राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

P.T.O.

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Deptt. of Personnel & Trg.
Receipt & Issued Section
22 JUN 2012
ISSUED